FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0054 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 11/03/2025 16:36 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
4	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7(c)
5	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
6	भा दं सं 1860	420
7	भा दं सं 1860	467
8	भा दं सं 1860	468
9	भा दं सं 1860	471
10	भा दं सं 1860	409
11	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/03/2014 **Date To (दिनांक तक):** 29/02/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 18:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 11/03/2025 Time (समय): 12:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 11/03/2025 16:36:50 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-WEST, 83 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): TEHSIL KARYALYA POOGAL, JILA BIKANER

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): MAHAVEER PRASAD SHARMA

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 05/08/1980 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	3-B-21, SUKHARIA NAGAR, JAWAHAR NAGAR(GANGA NAGAR), GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	3-B-21, SUKHARIA NAGAR, JAWAHAR NAGAR(GANGA NAGAR), GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SITA SHARMA		पिता:KUNDAN LAL	1. WARD NO.12,SANTOSH BHAWAN,JEN DADAWARI KE PASS,,LUNKARASAR,BIKANER,RAJASTHAN,INDIA
2	MANOJ KHEMDA		पिता:RAGHUNATHRAM KHEMDA	1. 36,JAMNAGAR,ANNAT LUIES SCHOOL KE PICHHE,,BANAD ROAD,BIKANER,RAJASTHAN,INDIA
3	RAMESHWAR LAL GADHWAL		पिता:GANURAM GADHWAL	1. GRAM POST DHEENGPUR,SIKAR,RAJASTH
4	ADITYA		पिता:KHUBCHAND	1. 460,GOTAM NAGAR,NEEDAR MOAD,HARMADA,HARMARA,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA
5	KALURAM		पिता:RAMNARAYAN	1. GOAN POST NAPASAR,BIKANER,RAJASTHA
6	MAHENDRA SINGH MUWAL		पिता:BANWARI LAL MUWAL	1. 140,WARD NO.08,GILO KI DHANI,POST LAMIYO,DATARAMGARH,SIKAR,RAJASTHAN,INDIA
7	RAJESH KUMAR SHARMA		पिता:FOOLCHAND SHARMA	1. GOAN POST GANDHARA, ROHTAK,रोहतक,हरियाणा,INDIA
8	IQBAL SINGH		पिता:DESHRAJ SINGH	1. MAROTHI CHAUK,NOKHA,BIKANER,RAJA
9	JAYSINGH CHAUHAN		पिता:RAMKARAN SINGH	1. GAYAGURUJI BADA,,PURANA TOP KHANA CHAOTINA KUNA,BIKANER,RAJASTHAN,IN
10	BHANWARLAL MEGHWAL		पिता:KHINYARAM	1. GAON SOMALSAR,NOKHA,BIKANER,
11	RAJENDRA KUMAR SAWAMI		पिता:RAMESHEAR LAL	1. JASSOOSAR GATE,BIKANER,RAJASTHAN,IN
12	VIKASH POONIYA		पिता:RAJENDRA POONIYA	1. BAJRANG COLONY,VALLBH GARDAN,BIKANER,RAJASTHAN,INDIA
13	LUNARAM		पिता:DHANARAM	1. CHAK 4 M.M.,VPO BHLURI,BAJJU,BAJJU,BIKANER,RAJASTHAN,INDIA
14	MANGILAL		पिता:JAGDISH	1. GOAN POST GODU,BAJJU,

				BIKANER,RAJASTHAN,INDIA
15	RANVEER SINGH AND OTHERS		पिता:KASHIRAM	1. GAON BHEEMSANA,RAJGARH,CHURU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	लगभग 40 करोड रूपये	40,00,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 40,00,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, निवेदन है कि ब्यूरो में दर्ज शिकायत आर नंबर 1426 दिनांक 13.03.2024 में धारा 17ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत भू-अभिलेख निरीक्षक/पटवारी के विरूद्ध कार्यालय जिला कलक्टर भू-अभिलेख बीकानेर से पूर्व अनुमोदन जरिए पत्रांक - एफ /1-डी-18()एलआर/2024/5231 दिनांक 25.07.2024 प्राप्त किया गया तथा प्रमुख शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक- प.10(23)राज-1/2024 पार्ट जयपुर दिनांक 25.07.2024 के संलग्न जिला कलक्टर बीकानेर द्वारा गत 10 वर्षों में राजकीय भूमि के अन्तरण के प्रकरणों की जांच रिपोर्ट प्राथमिकी दर्ज करने हेतु प्रेषित की गई। जो सक्षम स्तर से अनुमोदित है। उक्त प्राप्त जांच रिपोर्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसील पूगल में राजकीय भूमियों को पुरानी तिथियों के निष्प्रभावी आवंटन आदेशों के आधार पर अनाधिकृत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के क्रम में जांच के तथ्य इस प्रकार पाये गये। तहसील पूगल, जिला बीकानेर में राजकीय भूमि के अन्तरण संबंधी प्राप्त हुई शिकायतों एवं राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्रांक प.1(97) राज-/2024 दिनांक 26.03.2024 द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में जिला कलक्टर बीकानेर के आदेश क्रमांक सी.बी./स्था/जांच/2024/ 1759-90 दिनांक 26.03.2024 एवं संशोधित आदेश सी.बी./स्था/जांच/2024/1886 दिनांक 03.04.2024 से श्री एम.एल. नेहरा, अति. आयुक्त सीएडी इगानप, बीकानेर के निर्देशन में गत 10 वर्षों (दिनांक 01.01.2014 से) में राजकीय भूमि अन्तरण के प्रकरणों की अग्रेतर जांच हेतु श्री यक्ष चौधरी, आईएएस (प्रशिक्षु) सहायक कलक्टर(शहर) बीकानेर, श्री श्रवण सिंह चारण सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम, कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर व श्री कपिल तंवर वरिष्ठ विधि अधिकारी, कलैक्ट्रेट बीकानेर की कमेटी गठित की गई। जिला कलक्टर के निर्देशों की पालना में श्री एम.एल. नेहरा अति. आयुक्त सीएडी इगानप, बीकानेर द्वारा दिनांक 01.04.2024 को तहसील पूगल का शिकायतों की जांच से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड जब्त (जो तहसीलदार द्वारा उपलब्ध कराया) किया गया। जब्त किये गये रिकॉर्ड की प्रारंभिक जांच करने पर जांच कमेटी को तहसील पूगल के समस्त ग्रामों/चकों का दिनांक 01.01.2014 से जांच समय तक राजकीय भूमि के अन्तरण से संबंधित सम्पूर्ण रिकॉर्ड (यथा नामान्तरकरण की जिल्दें, रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेशों की पत्रावली, खातेदारी सनद जारी करने की पत्रावली व अन्य आवश्यक दस्तावेज) पत्रांक सीबी/आवंटन/जांच/छतरगढ़-पूगल/ 2024/1935 दिनांक 04.04.2024 से मंगवाया गया। तहसीलदार पूगल से प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर प्रारंभिक तौर पर ग्राम करणीसर भाटीयान, सुरासर, बान्दरेवाला, भणावतावाला, बराला, बरजू, दीनसर का रिकॉर्ड प्राप्त किया जाकर इन गांवों के प्राप्त रिकॉर्ड की जांच के आधार पर राजकीय भूमियों को अविधिक तरीके से जान-बूझकर व्यक्ति विशेष के लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1970 के तहत तत्समय आंवटित भूमियों के जारी पट्टों के आधार पर लगभग 52 वर्षों के पश्चात तहसील पूगल के पटवारी, गिरदावर, ऑफिस कानूनगो, राजस्व अधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) व उपखंड अधिकारी सहित राजस्व कार्मिकों ने

राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी भूमियों के अन्तरण संबंधी प्रविष्टियां की जानी प्रकट हुई। पटवार मण्डल करणीसर भाटियान में 24 तथा पटवार मण्डल बान्दरेवाला में 07 इस प्रकार कुल 31 प्रविष्टियां अनियमित पाई गई, जिसमें कुल रकबा 508.68 हैक्टेयर अर्थात् लगभग 2010 बीघा सरकारी भूमि का अनियमित रूप से अन्तरण हुआ। इस क्षेत्र में वर्तमान में प्रचलित औसत बाजार मूल्य 2,00,000/-रूपये प्रति बीघा को आधार माना जावे तो लगभग 40 करोड़ रूपये की राजस्व अपवंचना प्रकट होती है। तहसील पूगल से प्राप्त करणीसर भाटियान, सुरासर, भणावतावाला, बान्दरेवाला, बराला, बरजू, दीनसर के नामान्तरकरणों की जाचं करने पर राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत निर्धारित प्रारूपों में वर्ष 1971-76 की अवधि में भिन्न-भिन्न तिथियों के संदर्भित आवंटन आदेशों के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अंकन करना पाया गया। ग्राम करणीसर भाटीयान, सुरासर, बान्दरेवाला, बरजू, दीनसर(समस्त ग्राम राजस्व क्षेत्र) में राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के अनुसार तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी बीकानेर (उत्तर) द्वारा वर्ष 1971 व पश्चातवर्ती अवधि में भूमिहीन श्रेणी के काश्तकारों को कृषि प्रयोजनार्थ 10 वर्षीय अवधि के लिए आवंटन नियमों की शर्तों के अध्यधीन बतौर गैर खातेदारी श्रेणी में आवंटन किया गया था। इस श्रेणी के आवंटियों को 10 वर्ष की अवधि के पश्चात आवंटन पट्टे में उल्लेखित शर्तों की पूर्ण पालना यथा मौके पर लगातार कब्जाकाश्त व लगान की अदायगी आदि के बाद खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने के अध्यधीन प्रावधान था। इन शर्तों की पालना करने वाले आवंटियों को तत्समय नियमानुसार आवंटित भूमि का कब्जा व गैर खातेदार/खातेदार की प्रविष्टियां रिकॉर्ड में अंकित की जा चुकी थी। इन नियमों के तहत आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने वाले कुछ आवंटियों के आवंटन भी विगत समय में निरस्त हो चुके हैं। इन नियमों के तहत आवंटित की गई भूमियां उक्त ग्रामों के मरूस्थलीन क्षेत्र में कृषि अयोग्य होने से संभवतः तत्कालीन आंवटियों द्वारा आवंटित भूमियों का कब्जा प्राप्त नहीं करने से ऐसी आवंटित भूमियां राजस्व रिकॉर्ड में तब से अब तक राजकीय भूमियों के रूप में संरक्षित रही हैं। इन गांवों का भू-संरक्षण/भूप्रबंध वर्ष 1990-92 तक होने पर खसरा नंबर, खसरा मानचित्र व भूमि की ईकाई में परिवर्तन हो चुका है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड उक्तानुसार संधारित है। इस प्रकार वर्ष 1971 में आवंटित की गई भूमियां तत्कालीन समय में जारी आवंटन आदेशों के अनुसार गैर खातेदारी के रूप में 10 वर्ष पश्चात आवंटन शर्तों की पूर्ति पर खातेदारी अधिकारी के अधीन थी। चूंकि जांच रिपोर्ट में शामिल किये गये सरकारी भूमि के अन्तरण जिन पट्टों के आधार पर अविधिक तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये गये हैं, वे वर्तमान में (डिम्बड कैंसिल्ड) स्वतः निरस्त/प्रभावहीन श्रेणी के हैं, क्योंकि इन पट्टों में अंकित खसरा नंबर व आवंटित भूमि के क्षेत्रफल की ईकाई भू-प्रबंध के पश्चात बदल चूकी है, जो वर्तमान खसरा नंबर व क्षेत्रफल की ईकाई से भिन्न-भिन्न है। ऐसी बेमेल(मिसमैच) प्रविष्टियों के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में जरिए नामान्तरकरण पटवारी व तहसीलदार द्वारा सरकारी भूमियों के अन्तरण की कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अविधिक तरीके से की गई है। मूल आवेदकों द्वारा आवंटन के पश्चात नियमानुसार निर्धारित समय में आवंटित भूमि का कब्जा लिया जाना आवश्यक था। आवंटन नियम 1970 के नियम 15(3) के अनुसार आवंटन के 15 दिवस की कालावधि में आवंटित भूमि का आवंटिती को भौतिक कब्जा दिया जाएगा तथा फीस के रूप में बतौर पट्टा फीस 05 रूपये आवंटी से वसूली का प्रावधान था। नियम 15(1) (ग) के अनुसार आवंटन आदेश की तारीख से 01 माह के भीतर आवंटित भूमि का कब्जा वास्तव में आवंटिती को नहीं दिया जावे तो वह कलक्टर को आवेदन करेगा, जो आदेश को प्रवर्तित करेगा। जांच रिपोर्ट में शामिल किये गये उक्त मामलों में 50-52 वर्षों पूर्व तत्कालीन समय में जारी पट्टों से राजस्व रिकॉर्ड में जरिए नामान्तरकरण कब्जा व राजस्व जमाबंदी में अंकन की पुष्टि नहीं होती है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उपलब्ध सरकारी भूमियों को चिन्हित कर तत्कालीन समय के जारी पट्टों के आधार पर अदेय लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सुनियोजित योजना के तहत सरकारी भूमि के अन्तरण की प्रविष्टियां की जाकर तुरंत खातेदारी जारी करना व खातेदारी के तुरन्त पश्चात तीसरे पक्षकार को जरिए विक्रय पत्र अंतरण की कार्यवाही की गई है, जिससे राज्य सरकार को भिम कीमत के रूप में भारी क्षति पहुंचाई गई है। आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन के लिए आवेदक की पात्रता के रूप में आवेदक का भूमिहीन होना आवश्यक है। भूमिहीन श्रेणी में सद्भाविक कृषक या कृषि श्रमिक हो या ऐसा व्यक्ति जिनकी जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि या कृषि जन्य व्यवसाय हो को आवंटन हेतु पात्र माना जाकर आवंटन का प्रावधान माना गया। इस श्रेणी में राज्य सरकार या वाणिज्य या औद्योगिक प्रतिष्ठान या फर्मों के कर्मचारी भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं माने गये हैं। आवंटन नियम के अनुसार आवंटन के लिए आवेदन पत्र प्रारूप 3 में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदन में अंकित समस्त तथ्य सत्यापित होने चाहिए, आवेदक भूमिहीन श्रेणी का होना व सद्भावी कृषक होना व व्यस्क आयु का होना आवश्यक है। जांच के दौरान ऐसे मामले भी प्रकट हुए हैं जिनमें वर्ष 1971-1976 की अवधि में जारी आवंटन आदेशों में अंकित आवंटियों की मृत्यु हो जाने के आधार पर मूल आवेदक/ आवंटी के उत्तराधिकारियों यथा पुत्र-पोत्रों के नाम से राजकीय भूमियों का अन्तरण दर्ज किया गया है, जबकि ऐसे उत्तराधिकारियों के पूर्वज/पूर्वजों द्वारा तत्कालीन आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि का बतौर टिनेन्ट कब्जा प्राप्त नहीं किया गया था, जो कि वर्तमान जमाबंदी में बतौर आवंटी/गैर खातेदार के रूप में दर्ज नहीं है। जब किसी सरकारी भूमि के आवंटन के पश्चात आवंटी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार की बतौर टिनेन्ट आधिकारिक तौर पर प्रविष्टि नहीं हुई है, तो इसके आधार पर उस मूल आवंटी के मृत्योपरांत सरकारी भूमि पर उत्ताधिकार विधि के तहत मृतक आवंटी (जिसका रिकॉर्ड पर बतौर टिनेन्ट अंकन नहीं हैं) के

उत्ताराधिकारियों को किसी प्रकार के विरासतन अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। कब्जा विहीन भूमि व रिकॉर्डेड टिनेन्ट की प्रविष्टि के अभाव में मृतक(मूल आवंटी) के स्थान पर राजकीय भूमियों का आवंटन दर्शाते हुए वारिसानों के नाम से आवंटन की प्रविष्टि अंकित कर राजकीय भूमियों के अन्तरण की कार्यवाही पटवारी और तहसीलदार द्वारा नियम एवं क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर की गई है। इस प्रकार की प्रविष्टियां अदेय लाभ पहुंचाने के प्रयोजन से उपखण्ड अधिकारी के निर्देशों से भी की जानी प्रकट हुई हैं। उपखण्ड अधिकारी को 50-52 वर्ष पूर्व के जारी आवंटन आदेशों में अंकित मूल आवंटी के स्थान पर विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना मृतक आवंटी के वारिसानों के नाम से आवंटन की प्रविष्टि अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार को दिया जाना आवंटन नियमों के विपरीत प्रकट होता है। ग्राम करणीसर भाटियान, पटवार मंडल करणीसर भाटियान का नामान्तरकरण संख्या 945 दिनांक 07.05.2021, 947 दिनांक 07.05.2021, 1146 दिनांक 02.11.2022, 1154, 1169 दिनांक 23.11.2022, 1343 दिनांक 01.06.2023, 1348 दिनांक 09.06.2023, 1368 दिनांक 16.06.2023, 1401 दिनांक 13.07.2023, 1456 दिनांक 22.08.2023, 1494 दिनांक 26.10.2023, 1355 दिनांक 11.06.2022, 1366 दिनांक 15.06.2023, 1374 दिनांक 21.06.2023, 1392 दिनांक 12.07.2023, 1446 दिनांक 21.08.2023, 1468 दिनांक 20.09.2023, 1541 दिनांक 03.01.2024, 1544 दिनांक 04.01.2024, 1547 दिनांक 12.01.2024, 1608 दिनांक 25.02.2024 ग्राम बान्दरेवाला पटवार मण्डल बान्दरेवाला का नामान्तकरण संख्या 378 दिनांक 31.01.2022, ग्राम बरजू पटवार मण्डल बान्दरेवाला का नामान्तरकरण संख्या 465 दिनांक 06.01.2020 इसी प्रकार की गलत प्रविष्टियों से संबंधित दर्ज किये जाकर स्वीकृत हुए हैं। शुद्धिपत्र (फर्द-बदर-पी27) - राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 166 के अनुसार शुद्धिपत्र, अधिकार अभिलेख(रिकॉर्ड ऑफ राईट्स) में हुई अशुद्धियों और भूल-चूक को सुधारने का जरिया है। गत चौसाला रिकॉर्ड जमाबंदी की तुलना में चालू रिकॉर्ड में हुई लेखकीय (क्लेरिकल) मिस्टेक को सुधारने हेतु इस प्रपत्र का उपयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार रिकॉर्ड में लिपिकीय अशुद्धियों के लिए आदेश फर्द-बदर पर लिये जाते हैं। जमाबंदी के इन्द्राजात बाद के अभिलेखों में तब तक नहीं बदले जावें जब तक की इस प्रयोजन हेतु नामान्तरणों में परिवर्तन करने के लिए पूर्वगामी आदेश प्राप्त कर लिया गया हो सिवाय उस दशा में जबकि परिवर्तन केवल किसी लिपिकीय लेखकीय अशुद्धि को हटाना हो अर्थात् जमाबंदी के इन्द्राजात को दूसरी प्रति में नकल करने में कोई भूल अथवा किसी नामान्तरकरण को जमाबंदी में सम्मिलित करने में कोई त्रुटि रह गई हो, जिसको सुधारने के लिए किसी नामान्तरकरण आदेश में परिवर्तन नहीं करना पड़े, ऐसी गलतियों को सही करने के लिए आदेश शुद्धि पत्र में लिया जाना चाहिए। ग्राम करणीसर भाटियान से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड, नामान्तरकरण की जांच करने पर पटवारी व तहसीलदार द्वारा ग्राम करणीसर भाटियान की बारानी सरकारी भूमियों को शुद्धिपत्र (प्रपत्र 27) के जरिए पूर्व नामान्तरकरण संख्या 821, 822 दिनांक 15.07.1991 सहायक भू प्रबंध अधिकारी बीकानेर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण जिसका भू-प्रबंध विभाग द्वारा तैयार की गई मिसल बन्दोबस्त व उसके आधार पर तहरीर वर्तमान जमाबंदी में अंकन नहीं होते हुए भी नामान्तरकरण संख्या 821, 822 दिनांक 15.07.1991 को संदर्भित करते हुए सरकारी भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में सीधे खातेदारी अंकन करने की अनियमितता प्रकट हुई है। ग्राम करणीसर भाटियान की वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 01 राजकीय भूमियों के खाता में से जरिए शुद्धिपत्र संख्या 35 आदेश दिनांक 05.04.2023, शुद्धिपत्र संख्या 36 आदेश दिनांक 05.04.2023 व शुद्धिपत्र संख्या 10 आदेश दिनांक 02.01.2022 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित की गई प्रविष्टियां शुद्धिपत्र की सीमा से बाहर की गई हैं, जिससे राजकीय भूमि की क्षति हुई है। पटवारी व तहसीलदार द्वारा की गई उक्त कार्यवाही पूर्णरूपेण त्रुटिपूर्ण है। ग्राम बान्दरेवाला में नामान्तरकरण संख्या 443 दिनांक 24.08.2022, 452 दिनांक 16.09.2022, 497 दिनांक 08.12.2022 व 595 दिनांक 16.05.2023 में सम्मिलित मामलों में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा वर्ष 2016 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 60-61 की कार्यवाही करते हुए काश्तकारों के नाम की प्रविष्टि को निरस्त कर राजकीय भूमियां घोषित की गई थी। ऐसी भूमियों का कब्जा बहक सरकार लेंकर राजकीय खाते में सिवाय चक के रूप में दर्ज की गई। राज्य सरकार के पक्ष में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा धारा 60-61 काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही के विरूद्ध लगभग दो वर्षों बाद प्रभावित पक्षकारों द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में नामान्तरकरण आदेश को आधार बनाकर प्रथम अपील के रूप में प्रस्तुत की गई, जो कि तहसीलदार द्वारा धारा 60-61 के तहत की गई कार्यवाही के ऑरिजनल ऑर्डर से संबंधित नहीं होने के आधार पर उपखण्ड न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार बाहर जाकर किये गये निर्णयों की पालना में तहसीलदार द्वारा प्रार्थी/अपीलांट के नाम से सरकारी भूमियों को दर्ज करने की कार्यवाही की गई है। स्टेट के विरूद्ध निर्णित मामलों में किसी भी प्रकार की कार्यवाही किए जाने से पूर्व जिला कार्यालय की विधि शाखा से विधिक परीक्षण एवं अपील- नो अपील का निर्णय कराए बिना व राजकीय अभिभाषक से राय प्राप्त किये बिना तहसीलदार द्वारा विधि विरूद्ध पारित निर्णयों की पालना में स्टेट के विरूद्ध निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाना प्रकट होता है। इस संबंध में जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा मासिक मिटिंगों में समय-समय पर दिये गये निर्देश एवं जिला कार्यालय द्वारा जारी निर्देशन पत्र क्रमांक सीबी/विधि/15/1722 दिनांक 13.04.2015 व सीबी/निराले/ जांच/2021/342-55 दिनांक 08.03.2021 की अवहेलना करते हुए सरकारी घोषित भूमियों को निजी व्यक्तियों के नाम से दर्ज करना तत्पश्चात खातेदारी

अधिकार देने संबंधी कार्यवाही की गई है। सरकारी भूमियों के स्थान पर ग्राम दीनसर नामान्तरकरण संख्या 101 दिनांक 29.05.2014 से संबंधित निजी व्यक्तियों के नाम से दर्ज हुआ है। नामान्तरकरण में अंकित न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.09.2013 के संदर्भ में अपील सं. 00/13 पदमाराम वगै बनाम सरकार में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के आधार पर सरकारी भूमि के वर्तमान खसरा नंबर 113 व 114 का अंकन मूल आवंटी खुमाराम के वारिसानों के नाम से दर्ज की गई है। मूल आवंटी द्वारा अपने जीवनकाल में आवंटित भूमि का कब्जा निर्धारित समय में प्राप्त नहीं करने के कारण से बतौर आवंटी दर्ज नहीं हो सका, तद्नुसार नॉन टिनेन्ट व्यक्ति के मरणोपरांत वारिसानों के नाम से आवंटन की प्रविष्टि की गई । यही नहीं उपखण्ड अधिकारी के अपील निर्णय दिनांक 06.09.2013 में सरपंच द्वारा आवंटन संबंधी निरस्त नामान्तरकरण की संख्या अंकित नहीं है, जिसके विरूद्ध उक्त अपील में मृतक के वारिसानों के नाम से आवंटित भूमि दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि वर्षों पूर्व के आवंटन आदेश में वर्णित खसरा नंबर व क्षेत्रफल में भिन्नता होते हुए पटवारी द्वारा आवंटन के प्रयोजनार्थ दर्ज किये गये आवंटन को सरपंच द्वारा निरस्त किया गया है, क्योंकि भूमि आवंटन के आदेशों की पालना में नामान्तरकरण स्वीकृत करने की शक्तियां ग्राम पंचायत को नहीं हैं। जांच रिपोर्ट में सम्मिलित अधिकांशतः प्रकरणों में तहसीलदार द्वारा आवंटन प्रविष्टि के साथ-साथ तात्कालिक रूप से शर्तों की पूर्ण पालना हुए बिना खातेदारी अधिकार दे दिये गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप आक्षेपित मामले क्रमशः दूसरे, तीसरे व्यक्तियों के नाम से हस्तांतरित हो चुके हैं। तहसीलदार द्वारा पुराने पट्टे में अंकित भूमि विवरण से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वर्तमान रिकॉर्ड में अंकित सरकारी भूमियों में दर्ज की गई आवंटन की प्रविष्टियां अंकित कर खातेदारी दिये जाने से सरकारी भूमि का अंतरण हुआ है। खातेदारी देते समय तहसीलदार द्वारा न तो कब्जा काश्त की सत्यता की जांच गई और न ही प्रविष्टि के पश्चात निर्धारित 03 वर्ष की अवधि की पूर्णता को परखा गया। यही नहीं है पुराने पट्टे के आधार पर वर्तमान जमाबंदी में उपलब्ध सरकारी भूमियों के साथ-साथ पुराने खसरा नंबरों को सुमेलित/समायोजित /खंडित करते हुए लाभार्थियों के नाम से खातेदारी अविधिक रूप से दी गई है। रिकॉर्ड में अंकित प्रविष्टियों से पाया गया कि गैर खातेदार श्रेणी के समस्त किसानों को खातेदारी नहीं दी जाकर केवल आक्षेपित नवीन प्रविष्टियों के बतौर दर्ज आवंटियों को PICK AND CHOOSE के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। ग्राम करणीसर भाटियान, बान्दरेवाला, बरजू व दीनसर का भौगोलिक एरिया सौलर पावर संभावित क्षेत्र में सम्मिलित होने व उसके आस-पास तथा मौके पर एसजीवेएनएल व टाटा पावर लिमिटेड तथा एनटीपीसी व राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा सौलर पावर प्रयोजनार्थ योजना होने के कारण से उक्त ग्रामों की भूमियों को सुनियोजित तरीके से एक संगठित समूह द्वारा सरकारी भूमियों के आवंटन/अन्तरण व तुरंत खातेदारी जारी करने संबंधी कार्यवाही की जानी प्रकट हुई है। तहसीलदार द्वारा की गई आवंटन की प्रथम प्रविष्टियां प्रारंभिक तौर पर ही दोषपूर्ण होने से खातेदारी व पश्चातवर्ती अन्तरण की प्रविष्टियां स्वतः ही निष्प्रभावी व दोषपूर्ण हो जाती हैं। आवंटन प्रविष्टियों से लेकर खातेदारी व बेचान संबंधी भूमि अन्तरण की अधिकांश प्रविष्टियां वर्ष 2021 से 2023-24 की अल्पावधि में होना प्रकट हुआ है। आवंटन नियम 1970 के तहत तहसीलदार पूगल द्वारा जारी खातेदारी प्रकरणों से संबंधित ग्राम करणीसर भाटीयान का नामान्तरकरण संख्या 951, 1014, 1178, 1179, 1180, 1354, 1387, 1375, 1376, 1386, 1420, 1443, 1460, 1469, 1496, 1515, 1553, 1554, 1595, ग्राम बरजू के नामान्तरकरण संख्या 480, ग्राम दीनसर के नामान्तरकरण संख्या 115, करणीसर भाटीयान शुद्धि पत्र संख्या 10, ग्राम बान्दरेवाला नामान्तरकरण संख्या 462, 463, 517, 596, 601, 380 पाये गये हैं। इसी प्रकार 52-53 वर्ष पुराने पट्टों के आधार पर नॉन टिनेन्ट व्यक्तियों/मृत्योपरांत वारिसानों के नाम से आवंटन दर्ज करने के प्रयोजनार्थ उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन की पुष्टि हेतु तहसीलदार को पत्रांक 5289 दिनांक 19.10.2022, 5285 दिनांक 19.10.2022, 5287 दिनांक 19.10.2022, 3229 दिनांक 12.05.2023, 3231 दिनांक 12.05.2023, 3368 दिनांक 08.06.2023, 3370 दिनांक 08.06.2023, 3471 दिनांक 15.02.2023, 3374 दिनांक 08.06.2023, 5283 दिनांक 18.10.2022, 3470 दिनांक 15.06.2023, 3372 दिनांक 08.06.2023, 1022 दिनांक 16.08.2023, 1080 दिनांक 29.08.2023, 1082 दिनांक 29.08.2023, 1818 दिनांक 02.01.2023, 1816 दिनांक 02.01.2024, 1817 दिनांक 02.01.2024, 2030 दिनांक 22.02.2024 जारी किये गये, जिनके क्रम में ग्राम करणीसर भाटियान के ऊपर उल्लेखित प्रश्नगत नामान्तरकरण दर्ज हुए हैं। पूगल तहसील के ग्राम करणीसर भाटियान, बान्दरेवाला, बरजू, दीनसर की 508.68 हैक्टेयर अर्थात् लगभग 2010 बीघा अनाधिकृत रूप से सरकारी भूमियों का जिनका वर्तमान बाजार मूल्य करीब 40 करोड़ रूपये है को राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा नामान्तरकरण व शुद्धिपत्रों की प्रक्रिया किये बिना जानबूझकर राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी भूमियों के आवंटन एवं अन्तरण की कार्यवाही गंभीर प्रकृति की प्रकट होती है। ग्राम करणीसर भाटियान में एक प्रविष्टि कूटरचित पट्टे की प्रतीत होती है, जो नामान्तरकरण संख्या 945 दिनांक 07.05.2021 को श्री देवीसिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी महाजन हाऊस के पास, पुरानी गिन्नाणी बीकानेर जिसका खातेदारी नामान्तरकरण संख्या 951 दिनांक 05.07.2021 दर्ज हुआ है। इस प्रकार अपुष्ट व कूटरचित आवंटन आदेशों के आधार पर सुनियोजित योजना के तहत पटवारी एवं तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी द्वारा अदेय लाभ प्राप्तकर्ता प्रार्थीगणों के आवेदनों पर प्रस्तुत तथ्य व संलग्न साक्ष्यों की किसी प्रकार की जांच एवं परीक्षण किये बिना जानबूझकर लाभ पहुंचाने के उद्देश्य लाभार्थी व्यक्तियों के नाम से अनाधिकृत

प्रविष्टियां करके सरकारी भूमियों को खुर्द-बुर्द किया है। जिससे राज्य सरकार को न्यूनतम प्रचलित डीएलसी दरों से लगभग 40 करोड़ रूपये राजस्व हानि कारित हुई है। इस प्रकार शिकायत आर. नम्बर 1426 दिनांक 13.03.2024 के संलग्न जिला प्रशासन की जाचं रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती सीता शर्मा उपखण्ड अधिकारी पूगल द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में भ्रष्ट आचरण कर षड्यन्त्र पूर्वक आपराधिक आशय से राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत राजकीय भूमि को पुरानी तिथियों के संदर्भित अप्रभावशिल आवटंन आदेशो के आधार पर अविधिक रूप से मूल आवंटी के वारिसों के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश जारी करना, स्टेट के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी के द्वारा श्रवणाधिकार /क्षेत्राधिकार विहिन निर्णयों से सरकारी भूमियों का अन्तरण एवं वर्तमान प्रविष्टियों से भिन्न 52-53 वर्ष पुराने पट्टों के आधार पर नॉन टिनेन्ट व्यक्तियों/मृत्यूपरांत वारिसानों के नाम से आवंटन दर्ज करने के प्रयोजनार्थ आवंटन की पुष्टि एवं आदेश जारी करना तथा श्री मनोज खेमदा उपखण्ड अधिकारी पूगल द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में भ्रष्ट आचरण कर षड्यन्त्र पूर्वक आपराधिक आशय से राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत राजकीय भूमि को पुरानी तिथियों के संदर्भित अप्रभावशिल आवटंन आदेशो के आधार पर अविधिक रूप से मूल आवंटी के वारिसों के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश जारी करना, वर्तमान प्रविष्टियों से भिन्न 52-53 वर्ष पुराने पट्टों के आधार पर नॉन टिनेन्ट व्यक्तियों/मृत्यूपरांत वारिसानों के नाम से आवंटन दर्ज करने के प्रयोजनार्थ आवंटन की पुष्टि एवं आदेश जारी किये जाकर राजकीय भूमि को खुर्द-बुर्द किया जाना पाया गया हैं। उक्त श्रीमती सीता शर्मा उपखण्ड अधिकारी पूगल एवं श्री मनोज खेमदा उपखण्ड अधिकारी पूगल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7(सी), 13(1)(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादसं घटित होना प्रथम दृष्टया पाया जाता हैं। इसी प्रकार पाया गया कि ग्राम करणीसर भाटियान में श्री राजेश कुमार शर्मा नायब तहसीलदार पूगल, श्री रामेश्वर गढ़वाल तहसीलदार पूगल, श्रीमती आदित्या तत्कालीन तहसीलदार, श्री महेन्द्र सिंह मुवाल, तत्कालीन नायब तहसीलदार(प्रशिक्षु), श्री भंवरलाल ऑफिस कानूनगो, श्री इकबाल सिंह भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारीगण श्री राजेन्द्र स्वामी, श्री विकास पूनियां, श्री लूणाराम द्वारा अपने-अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में भ्रष्ट आचरण करते हुए लाभार्थियों से आपसी मिलीभगत कर षड्यंत्रंपूर्वक राजस्व भूमि के दस्तावेज तैयार किये जाकर वर्तमान प्रविष्टियों से भिन्न वर्ष 1971 के पुराने आवंटन आदेशो के आधार पर अविधिक रूप से व्यक्तियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना, राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत निर्धारित प्रारूपों में वर्ष 1971-76 की अवधि में भिन्न-भिन्न तिथियों के संदर्भित आवंटन आदेशों के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों के नाम कूटरचना की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करना, शुद्धिपत्रों के जरिये सरकारी भूमि के आवंटन एवं खातेदारी का अंकन करना, राज्य के विरूद्ध निर्णित सरकारी भूमि के प्रकरणों में नामान्तरण दर्ज करना एवं अविधिक रूप से खातेदारी दर्ज करने का कृत्य किया जाकर राजकीय भूमि खुर्द-बुर्द किया गया हैं। उपर्युक्त आरोपीगणों का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, धारा 7(सी), 13(1)(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 420, 467, 468, 471, 409 व 120बी का घटित होना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। इसी प्रकार पाया गया कि ग्राम बान्दरेवाला में श्री रामेश्वर गढ़वाल तत्कालीन तहसीलदार, श्री महेन्द्र सिंह मुवाल प्रशिक्षु नायब तहसीलदार पूगल द्वारा अपने-अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में भ्रष्ट आचरण करते हुए लाभार्थियों से आपसी मिलीभगत कर षड्यंत्रंपूर्वक नामान्तरण संख्या 378 दिनांक 31.01.2022 दर्ज किया गया हैं। उक्त नामान्तरण दर्ज करने में दस्तावेज के संलग्न 51 वर्ष पूर्व की तिथि का अपठनीय आवंटन आदेश का आधार लिया गया है तथा नामान्तरण संख्या 443, 452, 497, 595 दर्ज किया गया हैं जबकि तत्कालीन तहसीलदार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 60-61 की कार्यवाही करते हुए काश्तकारो के नाम की प्रविष्टियों को निरस्त कर राजकीय भूमि घोषित की गई थी, जो राजकीय खाते मे सिवाय चक के रूप में दर्ज थी। उपखण्ड न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार से बाहर निर्णय के क्रम में उक्त आरोपीगणों द्वारा सरकारी भूमियों को अपीलांट के रूप में दर्ज कर खुर्द-बुर्द किया गया हैं। उपर्युक्त आरोपीगणों का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, धारा 7(सी), 13(1)(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 420, 467, 468, 471, 409 व 120बी का घटित होना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। इस प्रकार पाया गया कि ग्राम दीनसर में श्री रणवीर सिंह तहसीलदार पूगल द्वारा नामान्तरण संख्या 101 दिनांक 29.05.2014 दर्ज किया गया हैं जबकि मूल आवंटी द्वारा अपने जीवनकाल में आवंटन भूमि का कब्जा निर्धारित समय में प्राप्त नहीं करने के कारण से बतौर आवंटी दर्ज नहीं हो सका, आरोपीगण द्वारा दस्तावेजात की कूटरचना की जाकर तद्नुसार नॉन टिनेन्ट व्यक्ति के मरणोपरांत वारिसानों के नाम से आवंटन की प्रविष्टि की गई। ग्राम बरजु में श्री कालूराम नायब तहसीलदार, श्री जयसिंह भू-अभिलेख निरीक्षक, श्री मांगीलाल बिश्नोई पटवारी द्वारा लाभार्थी श्री फतू खां के नाम नामान्तरण संख्या 465 दिनांक 06.01.2020 दर्ज किया गया हैं जबकि साक्ष्य स्वरूप कोई दस्तावेज नहीं थे। संलग्न आवंटन आदेश लगभग 49 वर्ष पूर्व का था, वर्तमान रिकॉर्ड से मिलान नहीं होता था, जिला कलक्टर बीकानेर के आदेश 05.08.2019 स्पष्टतः नामान्तकरण दर्ज करने से संबंधित नहीं होते हुए भी जानबुझ कर इस पत्र को आदेशात्मक संदर्भित करते हुए सरकारी भूमि के आवंटन की प्रविष्टि की गई। इस प्रकार उपर्युक्त आरोपीगणों द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में भ्रष्ट आचरण करते हुए लाभार्थियों से मिलीभगत कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर राजकीय भूमि को खुर्द-बुर्द करने का

कृत्य किया गया हैं। आरोपीगणों का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, धारा 7(सी), 13(1)(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 420, 467, 468, 471, 409 व 120बी का घटित होना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। अतः उपरोक्तानुसार 1. श्रीमती सीता शर्मा तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी पूगल, 2. श्री मनोज खेमदा, तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी पूगल, 3. श्री रामेश्वरलाल गढ़वाल तत्कालीन तहसीलदार, 4. श्रीमती अदित्या तत्कालीन तहसीलदार, 5. श्री महेन्द्र सिंह मुवाल तत्कालीन नायब तहसीलदार(प्रशिक्षु), 6. श्री राजेश कुमार शर्मा, तत्कालीन नायब तहसीलदार, 7. श्री कालूराम तत्कालीन नायब तहसीलदार/ तहसीलदार, 8. श्री इकबाल सिंह तत्कालीन भू अभिलेख निरीक्षक 09. श्री जयसिंह, तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक 10. श्री भंवरलाल ऑफिस कानूनगो, 11. श्री राजेन्द्र स्वामी हल्का पटवारी हाल सेवानिवृत, 12. श्री विकास पूनियां हल्का पटवारी 13. श्री लूणाराम हल्का पटवारी, 14. श्री मांगीलाल विश्नोई हल्का पटवारी, 15. श्री रणवीर सिंह, तत्कालीन तहसीलदार पूगल द्वारा लाभार्थी व्यक्तियों से आपसी मिलीभगत कर अपने-अपने पद का दुरूपयोग करते हुए आपराधिक षड़यंत्र पूर्वक राजकीय भूमियों को अपुष्ट व कूटरचित आवंटन आदेशों के आधार पर, नामान्तरकरण व शुद्धिपत्रों की प्रक्रिया किये बिना जानबूझकर राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी भूमियों के आवंटन एवं अन्तरण की कार्यवाही के आधार पर सुनियोजित योजना के तहत राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर राजकीय भूमि को खुर्द बुर्द किये जाने का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, धारा 7(सी), 13(1)(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 420, 467, 468, 471, 409 व 120बी भादसं का घटित होना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। उक्त आरोपीगण में से क्रम संख्या 15 पर अंकित श्री रणवीर सिंह तत्कालीन तहसीलदार पूगल का स्वर्गवास हो चुका है। अतः शेष आरोपीगण लोकसेवक क्रम संख्या 01 से 14 एवं अन्य के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन सादर प्रेषित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर..............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महावीर प्रसाद शर्मा,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, धारा 7(सी), 13(1)(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 420, 467, 468, 471, 409 व 120बी भादसं में आरोपीगण 1. श्रीमती सीता शर्मा पुत्री श्री कुन्दनलाल, उम्र 57 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 12, संतोष भवन, जैन दादाबाड़ी के पास, लूणकरणसर, जिला बीकानेर, तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी पूगल हाल निलम्बित,2.श्री मनोज खेमदा पुत्र श्री रूघनाथराम खेमदा, उम्र 42 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 36, जमनागर, अन्नत लुईस स्कूल के पीछे, बनाड़ रोड़ जोधपुर, तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी पूगल हाल निलम्बित,3.श्री रामेश्वरलाल गढ़वाल पुत्र श्री गंगूराम गढ़वाल, उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट धींगपुर, जिला सीकर, राजस्थान, तत्कालीन तहसीलदार पूगल हाल तहसीलदार राजस्व बीकानेर,4.श्रीमती अदित्या पुत्री श्री खूबचंद, उम्र 40 वर्ष, निवासी 460 गौतमनगर, नींदड़ मोड़, हरमाड़ा, जयपुर तत्कालीन तहसीलदार पूगल हाल निलम्बित,5.श्री कालूराम पुत्र श्री रामनारायण, उम्र 60 वर्ष, निवासी गांव पोस्ट नापासर, तहसील व जिला बीकानेर तत्कालीन तहसीलदार/नायब तहसीलदार पूगल हाल सेवानिवृत,6.श्री महेन्द्र सिंह मुवाल पुत्र श्री बनवारीलाल मुवाल, उम्र 32 वर्ष, निवासी 140, वार्ड नंबर 08, गिलों की ढाणी, पोस्ट लामियों, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर तत्कालीन तहसीलदार पूगल हाल कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार खींवसर, जिला नागौर,7. श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री फूलचंद शर्मा, उम्र 51 वर्ष, निवासी गांव पोस्ट गांधरा, तहसील व जिला रोहतक, हरियाणा तत्कालीन नायब तहसीलदार पूगल,8.श्री इकबाल सिंह पुत्र श्री देशराज सिंह, उम्र 51 वर्ष, निवासी मरोठी चौक, नोखा, जिला बीकानेर तत्कालीन भू अभिलेख निरीक्षक पूगल हाल तहसीलदार भू.अ. कार्यालय खाजूवाला,9.श्री जयसिंह चौहान पुत्र श्री रामकरण सिंह, उम्र 63 वर्ष, निवासी गयागुरूजी बाड़ा, पुराना तोप खाना चौतीना कुआ, बीकानेर तत्कालीन भू अभिलेख निरीक्षक पूगल हाल सेवानिवृत,10.श्री भंवरलाल मेघवाल पुत्र श्री श्री खिंयाराम, उम्र 52 वर्ष, निवासी गांव सोमलसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर तत्कालीन ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय पूगल हाल तहसीलदार भू.अ. कार्यालय खाजूवाला,11.श्री राजेन्द्र कुमार स्वामी पुत्र श्री रामेश्वरलाल स्वामी, उम्र 63 वर्ष, निवासी जस्सूसर गेट, बीकानेर तत्कालीन पटवारी तहसील पूगल हाल सेवानिवृत,12.श्री विकास पूनियाँ पुत्र श्री राजेन्द्र पूनियाँ, उम्र 27 वर्ष, निवासी बजरंग कॉलोनी, वल्लभ गार्डन, बीकानेर तत्कालीन पटवारी तहसील पूगल,13.श्री लूणाराम पुत्र श्री धनाराम, उम्र 30 वर्ष, निवासी चक 4 एम.एम., वीपीओ भलूरी, तहसील बज्जू, जिला बीकानेर तत्कालीन पटवारी तहसील पूगल हाल तहसील भू. अ. कार्यालय जसरासर,14.श्री मांगीलाल पुत्र श्री जगदीश, उम्र 32 वर्ष, निवासी गांव पोस्ट गोडू, तहसील बज्जू, जिला बीकानेर तत्कालीन पटवारी तहसील पूगल हाल निलम्बित मुख्यालय कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बज्जू,15.श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री काशीराम, उम्र 65 वर्ष निवासी गांव भीमसाना, तहसील राजगढ़, जिला चूरू तत्कालीन तहसीलदार पूगल (फौत),16.अन्य के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री आशिष कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, एस.यू.बीकानेर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 139 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक

ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 291-99 दिनांक 11-03-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3-शासन उप सचिव कार्मिक (क-3/शिकायत विभाग), राजस्थान जयपुर। 4-अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर। 5-निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर 6-उप निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर 7-जिला कलक्टर, बीकानेर।,8-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर। 9-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर(शिकायत आर.न.1426) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ashish Kumar **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 11/03/2025 16:...

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1968				
2	Male	1983				
3	Male	05/09/1972				
4	Female	04/07/1984				
5	Male	05/09/1972				
6	Male	20/02/1992				
7	Male	27/07/1973				
8	Male	31/08/1973				
9	Male	13/04/1961				
10	Male	20/12/1972				
11	Male	20/09/1961				
12	Male	1998				
13	Male	10/04/1994				
14	Male	15/05/1992				
15	Male	01/12/1954				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)